Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)
HEAD OFFICE
HYDERABAD
Department: **Human Resources - IR**

Circular No: 283

Ref No: 3/ 37

Date: 20**.10.2018**

Sub: Four Wheeler loan to staff- Improvements / Modification in terms

Ref: 1. H O Cir. no. 353, Ref.no.20/75, dt.22.11.2003.
2. H.O. Cir. no. 317, Ref.no.3/52, dt.29.12.2009.
3. H.O. Cir. no. 214, Ref.no.3/46, dt.24.08.2012

*****

We are pleased to inform that the Board of Directors of the Bank in its meeting held on 19.09.2018 has approved modification / improvements in terms of sanction of Four Wheeler loans to Officers and Clerical Staff as detailed hereunder.

1. Eligibility criteria : The eligibility criteria for sanction of Four wheeler loan has been modified and revised eligibility for availing the loan is as under.

Eligibility Criteria			
OFFICERS		**CLERKS**	
Existing	**Revised**	**Existing**	**Revised**
After reaching a basic pay of Rs. 31705/. i.e 8th stage of JMGS I and initial basic of MMGS II	**Confirmed Officer** with Minimum 3 years of Service in the Bank.	8 years of service in the bank	**Confirmed clerk** with Minimum 3 years of service in the bank

2. Quantum of loan for used Motor Cars : There is no change in the eligible loan limit for purchase of new 4 wheeler for both officers and clerks. However, the eligible limit for used 4 wheeler has been revised for Clerical staff as under:

OFFICERS		**CLERKS**	
Existing Limit	Revised	Existing limit	Revised
Rs. 7.00 lacs	No change	Rs. 2.5 lacs	Rs. 4 lacs

ANDHRA BANK HR Dept. H.O.Hyd.

3. Age of Used Car: For availing the loan for purchase of used car by both officers and clerks, the age of the used car should not be more than **5** years as on the date of application.

4. Repayment terms :

a. **For New Motor Cars:** The loan together with interest shall be repayable in not more than 200 Monthly installments or before attaining the age of superannuation whichever is earlier.

b. **For Used Motor Cars:** The loan together with interest shall be repayable before the due date of the validity of the Registration Certificate (RC) of the vehicle or before attaining the age of superannuation, whichever is earlier.

5. Option to repay the loan beyond the date of Superannuation :

Within the overall permissible repayment period for new and used cars, employees retiring on **superannuation** can exercise the option to repay the loan beyond retirement and before reaching age of 70 years subject to the following terms.

a. From the date of retirement on superannuation, outstanding liability shall be treated as general public loan and instalment to be rescheduled. All the terms applicable to general public vehicle loans shall be made applicable, including the rate of interest.
b. The net take home pension should not be less than 40% of gross pension after accounting for all deductions including the proposed loan installment.

All other terms and conditions mentioned in our circulars cited remain unaltered. This is one of the agenda items discussed during the course of the Joint Consultative Committee and Industrial Relations Committee meetings held with the representatives of All India Andhra Bank Officers' Federation and All India Andhra Bank Award Employees' Union.

(M. Nagaraju)
General Manager (HR)

आंध्रा बैंक ANDHRA BANK
मा.सं. विभाग
HR Dept.
प्र.का. H.O.Hyd.

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, हैदराबाद
विभाग: मानव संसाधन - आई आर

परिपत्र संख्या : 283
संदर्भ संख्या : 3/37
दिनांक : 20.10.2018

विषय : कर्मचारियों को चार पहिया ऋण - शर्तों में सुधार/संशोधन
संदर्भ : 1. प्र.का. परि.सं. 353, संदर्भ सं. 20/75, दि. 22.11.2003.
2. प्र.का. परि.सं. 317, संदर्भ सं. 3/52, दि. 29.12.2009.
3. प्र.का. परि.सं. 214, संदर्भ सं. 3/46, दि. 24.08.2012

*****

हम सहर्ष सूचित करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल ने दि. 19.09.2018 को आयोजित बैठक में अधिकारियों तथा लिपिकीय कर्मचारियों हेतु चार पहिया ऋण की मंजूरी की शर्तों में निम्न अनुसार सुधार/संशोधन अनुमोदित किया है ।

1. पात्रता मानदंड : चार पहिया ऋण की मंजूरी हेतु पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है तथा ऋण का लाभ उठाने के लिए संशोधित पात्रता निम्न अनुसार हैं

पात्रता मानदंड			
अधिकारी		**लिपिक**	
वर्तमान	**संशोधित**	**वर्तमान**	**संशोधित**
मूल वेतन रु. 31705/- के पश्चात अर्थात जेएमजीएस 1 का 8 वां स्तर तथा एमएमजीएस का प्रारंभिक मूल वेतन	बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ **पुष्टीकृत अधिकारी**	बैंक में 8 वर्ष की सेवा	बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ **पुष्टीकृत लिपिक**

2. उपयोग किए गए मोटर कारों के लिए ऋण की मात्रा : अधिकारियों तथा लिपिकों दोनों हेतु नया 4 पहिया के क्रय के लिए पात्र ऋण सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है । तथापि, लिपिकीय कर्मचारियों के लिए उपयोग किए गए 4 पहिया के लिए पात्र सीमा निम्न अनुसार संशोधित की गई है :

अधिकारी		**लिपिक**	
वर्तमान सीमा	संशोधित	वर्तमान सीमा	संशोधित
रु. 7.00 लाख	कोई परिवर्तन नहीं	रु. 2.5 लाख	रु. 4 लाख

म्हा

3. उपयोग किए गए कार की आयु : अधिकारियों तथा लिपिकों दोनों दवारा उपयोग किए गए कार की खरीद हेतु ऋण का लाभ उठाने के लिए, उपयोग किए गए कार की आयु आवेदन की तिथि को 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

4. चुकौती शर्तें :

क. नई मोटर कार हेतु : ब्याज के साथ ऋण अधिकतम 200 मासिक किस्तों में अथवा सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्ति से पूर्व, इनमें से जो भी पहले हो, चुकाना होगा ।

ख. उपयोग किए गए कार हेतु: ब्याज के साथ ऋण वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की वैधता की देय तिथि से पहले अथवा सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्ति से पूर्व, इनमें से जो भी पहले हो, चुकाना होगा ।

5. सेवा निवृत्ति की तिथि के पश्चात ऋण चुकाने का विकल्प :

नई तथा उपयोग किये गए कारों हेतु कुल स्वीकार्य चुकौती अवधि के अंदर, अधिवर्षित पर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के साथ सेवानिवृत्ति के पश्चात तथा 70 वर्ष की आयु से पहले ऋण चुकाने के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :

क. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि से, बकाया देयता को सामान्य नागरिक ऋण के रूप में माना जाएगा तथा किस्तों को पुनर्निर्धारित किया जाएगा । ब्याज दर सहित सामान्य नागरिक वाहन ऋण पर लागू सभी शर्तें लागू होंगी ।

ख. प्रस्तावित ऋण किस्त सहित सभी कटौतियां हेतु लेखांकन के पश्चात निवल टेक-होम पेंशन सकल पेंशन का 40% से कम न हो ।

हमारे उल्लेखित परिपत्रों में वर्णित अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हैं । ये अखिल भारतीय आन्ध्रा बैंक अधिकारी संघ तथा अखिल भारतीय आन्ध्रा बैंक पंचाट कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित संयुक्त सलाहकार समिति तथा औदयोगिक संबंध समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई कार्यसूची मदों में से एक है ।

एम नागराजु

(एम नागराजु)
महा प्रबंधक (मा.सं.)